

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का0आ0सं0-कल्याण(ले0प0)/COVID-19/2021-22/क-80

दिनांक 14.12.2021

कार्यालय आदेश

COVID-19 के संक्रमण का प्रभाव पटना में पुनः तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके बचाव हेतु सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित सुझावों का नियमित रूप से पालन करें ताकि स्वयं को सुरक्षित रख पायें एवं इस कार्यालय के अधिकारीगण व कर्मिगण को भी सुरक्षित रखने में सहायोग कर सकें।


- (1) नियमित रूप से मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करें।
- (2) अगर कोई कर्मी बिना मास्क के कार्यालय परिसर में पाए जाते हैं तो उन्हें 500/- रुपये आर्थिक दंड देना होगा।
- (3) एक दूसरे से दो गज की दूरी बना कर रखें।
- (4) अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं।
- (5) अच्छे उपयुक्त हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।
- (6) अपने अनुभाग को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
- (7) अपनी आँख, नाक और मुँह को छूने से बचें।

[प्राधिकार:- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का आदेश दिनांक 13.12.2021]

हस्ता0/-
वरीय उप महालेखाकार
(प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय।
- (2) सचिव, प्र0 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय।
- (3) वरीय उपमहालेखाकार/प्रशासन (लेखा एवं हकदारी) का सचिवालय।
- (4) वरीय उपमहालेखाकार/प्रशासन (लेखापरीक्षा) का सचिवालय।
- (5) सभी स्कंध अधिकारी का सचिवालय।
- (6) सभी नियंत्री अधिकारी/अनुभाग।
- (7) चैकिदार। इस निर्देश के साथ कि कार्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का तापमान जाँच कर तथा सैनिटाईजर दे कर ही कार्यालय में प्रवेश करने देंगे।
- (8) सभी सूचना पट्ट।


वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
(कल्याण)